प्रारूप

लोक शिक्षण संचालनालय म. प्र.

क्रमांक /लो.शि./बजट/2018–19/69 भोपाल, दिनांक 25-5-18

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म.प्र.
2. समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी म. प्र.
3. समस्त संयुक्त संचालक विधि प्रकोष्ठ
4. योग विभागाध्यक्ष, भोपाल
5. जीवाजी वेधशाला उज्जैन म.प्र. ।
6. शासकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय शिवपुरी (म.प्र.) ।

विषय : महालेखाकार ग्वालियर म. प्र. के आंकडों/लेखे से मिलान करने के लिये नोडल अधिकारी बनाये जाने विषयक ।

.–:00:–.

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली द्वारा राज्य के आय/व्यय के आंकडों का अंकमिलान कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शत प्रतिशत पूर्ण कराने के निर्देश दिये है तथा इसे अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) मध्य प्रदेश शासन भोपाल के ध्यान में लाया गया है ।

इस संबंध में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम म. प्र. ग्वालियर के सभाकक्षा में दिनांक 21.5.2018 को आयोजित बैठक में उपमहालेखाकार (लेखा एवं व्ही.एल.सी.) ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुय कहा कि प्रायः यह देखा गया है कि अंकमिलान कार्य को गम्भीरता से नही लिया जाता है तथा उक्त कार्य के लिये ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों को भेजा जाता है जिन्हें लेखान्कन का उचित ज्ञान नहीं होता है ।

अतः समस्त आहरण संवितरण अधिकारीयों पुनः निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के आंकडों का मिलान कार्य दिनांक 31.05.2018 तक अनिवार्यतः पूर्ण कर लें तथा मिलान कार्य का प्रतिवेदन संयुक्त संचालनाल (वित्त) लोक शिक्षण संचालनालय म. प्र. को प्रषित करें ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके ।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण संचालनालय
म.प्र., भोपाल

क्रमांक /लो.शि./बजट/2018–19/70 भोपाल, दिनांक 25-5-2018

प्रतिलिपि :

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
2. सचिव, म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

आयुक्त
लोक शिक्षण संचालनालय
म.प्र., भोपाल